



सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड

निबंधक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, देहरादून

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

धारा (4)(ख) के स्व: प्रकटीकरण के प्रावधान के अन्तर्गत तैयार मैनुअल

मैनुअल-11

{धारा 4(1)(ख)(XI)}

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की
विशिष्टियाँ तथा आवंटित बजट

31 मार्च, 2026 तक अद्यावधिक

सहकारिता विभाग
सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण- 03 वित्तीय वर्ष 2025-26

अनुदान संख्या- 18

(धनराशि हजार रू0 में)

मद का नाम व कोड 1	वर्तमान में प्राप्त बजट 2	कुल व्यय 3
01-वेतन	220000.00	192762.98
02-मजदूरी	207.75	207.75
03-मंहगाई भत्ता	134200.00	108821.61
04-यात्रा भत्ता	2415.60	2415.60
06-अन्य भत्ते	26400.00	16833.26
07-मानदेय	7.00	7.00
08-पारिश्रमिक	6899.67	6899.67
09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.00	0.00
10-प्रशिक्षण व्यय	49.73	49.73
11-अनुमन्यता संबंधी व्यय	76.20	76.20
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	1019.52	1019.52
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	891.88	891.88
22-कार्यालय व्यय	1514.10	1514.10
23-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	408.40	408.40
24-विज्ञापन ब्रिकी विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	457.15	457.15
25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	1000.00	1000.00
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर अनुरक्षण	1435.84	1435.83
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	866.38	866.38
28-कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय	0.00	0.00
29-गाड़ियों के संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	3623.27	3623.27
30-आतिथ्य व्यय	261.82	261.82
40-मशीन उपकरण सज्जा और संयंत्र	274.46	274.46
42-अन्य विभागीय व्यय	45.28	45.28
51-अनुरक्षण	429.71	429.72
योग- 03-सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण	402483.76	340301.61